न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्याः– 49/2017

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

बालु पिता रामा जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी डसाणियों का खेड़ा (सवाईपुर) तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री चुना पिता भवाना माली निवासी सवाईपुर तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा
2. श्री गणेश पिता भागवत जाट निवासी डसाणियों का खेड़ा (सवाईपुर) तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. श्री भैरू पिता रामचन्द्र जाट निवासी डसाणियों का खेड़ा (सवाईपुर) तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–::आदेश::–

दिनांकः –11/02/2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सवाईपुर पटवार हल्का सवाईपुर तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 295 की आराजी संख्या 1223/1 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 1224 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संम्बंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है । विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत्त कियें जातें हैं एवं संबधित भू. अ. निरीक्षक सवाईपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें ।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके वाके ग्राम सवाईपुर पटवार हल्का सवाईपुर तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 295 की आराजी संख्या 1223/1 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 1224 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें । प्रार्थीगण इस कार्य के लियें कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 500/–रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भू.अ. निरिक्षक को जमा करायेगा । खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाड़ा